पत्र संख्या–6/ब0गै0यो–01–31/2015गृ0आ0................../

बिहार सरकार

गृह (आरक्षी) विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
समस्तीपुर एवं जमूई।

पटना, दिनांक मार्च, 2016

विषयः– **विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला में प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों को सुविधा मुहैया कराने एवं अन्य अवसरों पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु प्राप्त अधियाचित राशि का आवंटन।**

प्रसंग :– जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर का पत्रांक–56/निर्वा0, दिनांक 08.02.2016 एवं जमूई का पत्रांक–320/गो0, दिनांक 26.02.2016 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्रों के संबंध में कहना है कि विधि व्यवस्था संधारण हेतु जिला में प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों को सुविधा मुहैया कराने एवं अन्य अवसरों पर हुये व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए आपसे प्राप्त अधियाचना के आलोक में विभागीय पत्रांक–10, दिनांक 11.08.2015 एवं पत्रांक–12, दिनांक 11.10.2015 द्वारा पूर्व आवंटित राशि के अतिरिक्त संलग्न विवरणी–I के अनुसार कार्यालय व्यय, वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव तथा व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ मद में क्रमशः ₹ 1,70,60,000, ₹ 1,69,36,000 एवं ₹ 67,60,000 यानि कुल ₹ 4,07,56,000 (चार करोड़ सात लाख छप्पन हजार रू0) मात्र का आवंटन दिया जाता है।

2. उक्त राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना की मांग सं0–22 मुख्य शीर्ष–2055–पुलिस, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–0009– प्रतिनियुक्त अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय, विषय शीर्ष 13 01–कार्यालय व्यय, 13 02–वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव तथा 28 01 व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं एवं विपत्र कोड N2055000010009 अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना अंतर्गत सभी व्यय के लिए वित्त विभाग के पत्रांक–5294/वि0(2) दिनांक 17.06.2015 द्वारा प्रावधानित चौमाही प्रतिशत बंधेज को शिथिल किया गया है। इसके फलस्वरूप आवंटित राशि का व्यय आवश्यकतानुसार किया जा सकता है।

4. उपर्युक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं जमूई होंगे तथा राशि की निकासी जिला कोषागार, समस्तीपुर एवं जमूई से की जायेगी।

5. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि की स्पष्ट मुहर, इकाईयों की कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

6. बिहार वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय–समय पर निर्गत सुसंगत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

7. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।

8. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।

9. उपर्युक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के विहित विपत्र पर की जाये।

10. उपर्युक्त राशि की निकासी के लिए विपत्र के साथ आवश्यक कागजात संलग्न किये जायें।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र पर दिया जाने वाला प्रमाण–पत्र अवश्य अंकित किया जाये।

12. वांछित डी0सी0 विपत्र/उपयोगिता प्रमाण–पत्र तीन माह के अंदर समर्पित किया जाये।

13. कार्यालय में निकासी एवं व्यय संबंधी पंजी का संधारण किया जाये।

विश्वासभाजन

ह0/–

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–6/ब0गै0यो0–01–31/2015गृ0आ0..पटना, दिनांक मार्च, 2016

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, समस्तीपुर एवं जमूई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञापांक–6/ब0गै0यो0–01–31/2015गृ0आ0.........2361...पटना, दिनांक 28 मार्च, 2016

प्रतिलिपि :– प्रमण्डलीय आयुक्त, दरभंगा एवं मुंगेर/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना एवं आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विवरणी–I

वित्तीय वर्ष 2015–16 में गैर योजना के मांग सं0–22 तथा मुख्य शीर्ष–2055–पुलिस, उपमुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–001–निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष–0009–प्रतिनियुक्ति अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय शीर्ष 13 01– कार्यालय व्यय, 13 02–वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव तथा 28 01–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं एवं विपत्र कोड N2055000010009 अंतर्गत अतिरिक्त आवंटित राशि का जिलावार विवरण :–

(राशि

क्र0	जिला का नाम	13 01–कार्यालय व्यय			13 02–वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव			28 01–व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएं			कुल आवंटित राशि		
		पूर्व आवंटित राशि	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व आवंटित राशि	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व आवंटित राशि	अतिरिक्त आवंटन	कुल आवंटन	पूर्व आवंटित राशि	अतिरिक्त आवंटन	कुल आव
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	समस्तीपुर	4400000	**14060000**	18460000	9200000	**16936000**	26136000	11000000	**6760000**	17760000	24600000	**37756000**	623
2	जमूई	4700000	**3000000**	7700000	9600000	**0**	9600000	12300000	**0**	12300000	26600000	**3000000**	296
योग		**9100000**	**17060000**	**26160000**	**18800000**	**16936000**	**35736000**	**23300000**	**6760000**	**30060000**	**51200000**	**40756000**	**919**

(चार करोड़ सात लाख छप्पन हजार रूपये

24.3.16

(आमिर सुबहानी)
सरकार के प्रधान सचिव

SP/Ravish/17.03.16